

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 646/13

संस्थापन दिनांक:-31/12/13

फाईलिंग नं. 233504001462013

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. चंदनसिंह पिता ईलम सिंह, उम्र 22 वर्ष
2. रामकरण उर्फ गोलू पिता दुलीचंद, उम्र 23 वर्ष
दोनों निवासी ग्राम कोढरखापा,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 13.03.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 341, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 13.12.2013 को शाम करीब 04:30 बजे नागदेव मंदिर के पास बेल नदी ग्राम सोनतलाई थाना आमला जिला बैतूल में फरियादी अंगुरसिंह को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी अंगुर सिंह का रास्ता अवरूद्ध कर सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी अंगुरसिंह को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 13.12.2013 को शाम करीब 16:30 बजे अपनी मोटर सायकिल से जंबाड़ा से अपने घर समरतढाना जा रहा था। तभी नागदेव मंदिर बेल नदी के पास सोनतलाई जोड़ के पास कोढर खापा तरफ से मोटर सायकिल से अभियुक्तगण आये और साईड की बात को लेकर उसे रास्ते में रोककर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर हाथ थप्पड़ से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट से उसे अंदरूनी चोटें आयी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 484/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन

लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी अंगुर सिंह का रास्ता अवरुद्ध कर सदोष अवरोध कारित किया ?
5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी अंगुरसिंह को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 07 का निराकरण

5 अंगुरसिंह (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी अंगुरसिंह (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में फरियादी अंगुर सिंह (अ.सा.-2) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण रामदास से बोल रहे थे कि वे उसे जान से मार देंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी अंगुरसिंह (अ.सा.-2) ने प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने घटना के समय जान से मारने की धमकी दी थी। अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। विवाद के समय दी गयी धौंस मात्र से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04, 05 एवं 06 का निराकरण

8 अंगुर सिंह (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसकी मोटर सायकिल के सामने अपनी मोटर सायकिल खड़ी करके उसे रोका और साईड देने की बात पर से उसके साथ हाथ थप्पड़ एवं लकड़ी से मारपीट की जिससे उसे सिर के दोनों तरफ और शरीर में कई जगह मारपीट से चोट आयी।

9 डॉ. ललिता पाटिल (अ.सा.-4) ने दिनांक 15.12.2013 को सीएचसी आमला में महिला चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत अंगुरसिंह का परीक्षण किये जाने पर उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पायी थी परंतु आहत के पीठ एवं सिर में दर्द पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) को प्रमाणित किया है।

10 बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने दिनांक 17.12.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 484/13 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श प्री-3 तथा दिनांक 30.12.2013 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-5 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

11 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा फरियादी ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन नहीं किये हैं एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलंब से लेख करायी गयी है जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जावे। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

12 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में रमसू (अ.सा.-5) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है परंतु साक्षी ने गिरफ्तारी पत्रक पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने घटना की कोई जानकारी न होना बताया है। साक्षी मुन्ना (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि वह घटना के समय खेत के टांके पर भैंस को पानी पिला रहा था तभी रोड तरफ से कुछ लोगों की आवाज आयी उसने जाकर समझाया कि विवाद मत करो। फिर सभी अपने-अपने घर चले गये। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी से भी अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने उसके समक्ष मारपीट, लड़ाई, झगडा न होना बताया है। इस तरह उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

13 अभिलेख पर मात्र फरियादी/आहत साक्षी अंगुरसिंह (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552** उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। अतः साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि उसके

कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं ?

14 अंगुरसिंह (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना शाम के 04:30 बजे की ग्राम सोनतलाई की है। घटना के समय वह मोटर सायकिल से अपने घर समरत ढाना जा रहा था। तभी नागदेव मंदिर के पास अभियुक्त चंदन और रामकरण आये और उसकी मोटर सायकिल के सामने गाड़ी खड़ी कर रोक दी और साईड देने की बात पर से उसके साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट की। वहां पड़ी हुई लकड़ी से भी मारपीट की। उसके सिर के सामने और पीछे की तरफ मारा। शरीर में कई जगह मारा। वह मोटर सायकिल से घर आया और उसके बाद थाना आमला में रिपोर्ट करने के लिए चला गया। उसका मेडिकल मुलाहिजा हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने घटना की रिपोर्ट घटना के दो दिन बाद की थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण की उसने झूठी रिपोर्ट की है। स्वतः कहा कि मारपीट की थी और उसके पैसे चालीस हजार रुपये छुड़ा लिये थे। अभियुक्तगण ने उसके साथ हाथ घुसों और लकड़ी से मारपीट की जिससे उसके सिर, हाथ में चोट आयी थी। पूरे शरीर में सूजन आ गयी थी। उसका अस्पताल में ईलाज नहीं हुआ था। उसने थाने में जैसे रिपोर्ट लेख करायी थी वैसी पुलिस वालों ने लेख नहीं की।

15 प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट घटना के दो दिन बाद लेख करायी गयी है एवं विलंब से रिपोर्ट लेख कराये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से हो रहा है और न ही फरियादी अंगुरसिंह के कथनों से प्रकट हो रहा है। अंगुरसिंह के द्वारा न्यायालय में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन किये गये हैं। फरियादी के चिकित्सकीय परीक्षण के उसे कोई भी प्रत्यक्षदर्शी चोट एवं सूजन या लालिमा कुछ भी नहीं पाये गये। मात्र पीठ और सिर दर्द की शिकायत पाई गयी थी। यदि दो लोग किसी व्यक्ति के साथ हाथ, घुसों, लकड़ी से मारपीट करे और कोई भी प्रत्यक्षदर्शी चोट आहत को न आये यह अत्यन्त अस्वाभाविक है। फरियादी अंगुरसिंह ने न्यायालय में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन किये हैं। अभियोजन कथा से हटकर एक नई कहानी अपने कथनों में प्रकट की है। आहत की साक्ष्य किसी भी स्वतंत्र साक्षी से समर्थित नहीं है और न ही चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित है। साथ ही आहत के द्वारा घटना की रिपोर्ट घटना के दो दिन बाद अत्यन्त विलंब से लेख करायी गयी है तथ विलंब का कोई समुचित कारण भी प्रकट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अंगुरसिंह को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी अंगुर सिंह का रास्ता अवरुद्ध कर सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी अंगुरसिंह को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण चंदनसिंह एवं रामकरण उर्फ गोलू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 341, 323, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)